उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
सं0– 195 /XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019

अधिसूचना संख्या– 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019 दिनांक 12 जुलाई, 2019 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019" की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2. अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल।
8. प्रमुख स्थानिक आयुक्त, उत्तराखण्ड शासन, नई दिल्ली।
9. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
10. उत्तराखण्ड सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून।
13. निदेशक, विभागीय लेखा, उत्तराखण्ड।
14. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
15. समस्त वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त नियमावली की 200 प्रतियां तैयार कर अबिलम्ब वित्त अनुभाग–7, उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
17. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
वित्त (वे0आ0–सा0नि0) अनुभाग–7
सं0– 126 /XXVII(7)32/2007 TC/2019
देहरादून दिनांक 12 जुलाई, 2019.

अधिसूचना

प्रकीर्ण

राज्यपाल "भारत का संविधान के अनुच्छेद 166 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) (संशोधन) नियमावली, 2019 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 10 (1) का संशोधन।

2. उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेन्ट) नियमावली, 2017 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 10 के उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 वर्तमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
10 (1) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक की अनुमानित लागत की सामग्री की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में विज्ञापन द्वारा निविदा आमंत्रित की जाए। रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम कीमत की सामग्री की अधिप्राप्ति, व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन के माध्यम से की जाय। विज्ञापन का आकार (साइज) न्यूनतम रखा जाय।	10 (1) समाचार पत्र में विज्ञापन द्वारा निविदाऐं निम्नानुसार आमंत्रित की जाऐगी:– (क) रू0 5.00 करोड़ (रू0 पांच करोड़) तथा उससे अधिक अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति के लिए कम से कम दो व्यापक परिचालन वाले राष्ट्रीय समाचार पत्रों में। (ख) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से अधिक एवं रू0 5.00 करोड़ से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राष्ट्रीय

Scanned by CamScanner

समाचार पत्र एवं एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र में।

(ग) रू0 25,00,000 (रू0 पच्चीस लाख) से कम अनुमानित लागत की अधिप्राप्ति व्यापक परिचालन वाले एक राज्य स्तरीय समाचार पत्र एवं एक स्थानीय समाचार पत्र में।

(घ) विज्ञापन का आकार (साइज) यथासम्भव न्यूनतम रखा जायेगा।

नियम 32 का संशोधन।

2. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
32. राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग के माध्यम से तथा शासन के वित्त विभाग की सहमति से राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमा में विनिर्मित करने वाले लघु कुटीर उद्योग /खादी/सूक्ष्म उद्यम को क्रय/मूल्य में वरीयता दे सकती है। यह वरीयता, प्राप्त न्यूनतम दर से 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। परन्तु राज्य में 4000 फीट से अधिक की ऊँचाई पर स्थापित सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों/इकाईयों में निर्मित सामग्री पर शासकीय खरीद में 15 प्रतिशत तक Purchase के आधार पर छूट अनुमन्य होगी।	**32.** राज्य के भौगोलिक क्षेत्र की सीमान्तर्गत स्थापित एवं विनिर्मित (Manufacture) करने वाले सूक्ष्म, लघु उद्यमों (कुटीर, खादी हथकरघा, हस्तशिल्प तथा स्टार्टप्स सहित) को सामग्री एवं सेवाओं हेतु प्रत्येक आमंत्रित निविदा की मात्रा के 25 प्रतिशत की सीमा तक क्रय वरीयता इस प्रतिबन्ध के अधीन अनुमन्य होगी कि यदि प्राप्त निविदाओं में उल्लिखित न्यूनतम दर (L1) के L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों /क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15) तक मूल्य उद्धत किया गया हो तो उनके मूल्य को L1 मूल्य के स्तर पर लाकर आपूर्ति के आदेश दिये जायेंगे: परन्तु यह कि सूक्ष्म, लघु उद्यमों को L1+10 प्रतिशत (A एवं B श्रेणी के वर्गीकृत जिलों/क्षेत्रों में स्थित ईकाईयों के लिए L1+15 प्रतिशत) से अधिक मूल्य की निविदा हेतु कोई क्रय वरीयता प्रदान नहीं की

Scanned by CamScanner

जायेगी:

परन्तु यह और कि सूक्ष्म और लघु उद्यमों से कुल वार्षिक खरीद में से 25 प्रतिशत के लक्ष्य में से महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्यम से खरीद के लिए 3 प्रतिशत का लक्ष्य निर्दिष्ट किया जायेगा।

नियम 60 (1) का संशोधन।

3. मूल नियमावली में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान नियम 60 के उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उपनियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 **वर्तमान नियम**	**स्तम्भ–2** **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम**
60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, ज़टिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, ज़िसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0 बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 40.00 लाख से कम हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जाय परन्तु जहां लागत रू0 40.00 लाख से अधिक हो, चयन प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।	60(1) जहां अधिप्राप्ति विषयक कार्यवाही मानक आधारों या सामान्य प्रकृति के बजाय, जटिल एवं अति विशिष्ट प्रकार की हो, जिसमें उच्च कोटि की विद्वता का अंश अधिक हो, तथा विभाग की अपेक्षाओं के अनुसार परामर्शी (कन्सल्टैन्ट) द्वारा अपने प्रस्ताव में नवपरिवर्तनशीलता (इनोवेशन) एवं रचनात्मकता प्रदर्शित करना आवश्यक हो, तो ऐसे प्रकरणों हेतु प्रशासनिक विभाग या सक्षम प्राधिकारी गुणवत्ता एवं लागत पर आधारित चयन (क्यू0सी0बी0एस0) को अपना सकता है। चयन की इस प्रणाली को अपनाने के पूर्व यदि लागत रू0 1.00 करोड़ तक हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रशासनिक विभाग से अनापत्ति प्राप्त की जायेगी परन्तु जहां लागत रू0 1.00 करोड़ से अधिक हो, चयन प्रकिया प्रारम्भ करने के पूर्व विभाग/सक्षम प्राधिकारी प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त करेगा।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

Scanned by CamScanner